Introduction and Passing of the Appropriation Bill, 2023-2024

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर - 37, माननीय मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

19.14 hrs